(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
1, CANNING LANE: K G MARG: NEW DELHI

F. No.60(59)/DWCD/ADWEC/Pt. III/ - 6850-866 **Dated The..........2012.**

04 JUN 2012

NOTIFICATION

F. No.60(59)/DWCD/ADWEC/Pt. III/ . -- In exercise of the powers conferred by section 17 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1994) and in supersession of this Department's Notification No. 60(59)/DWCD/ADWCD/Part III/10929-944 dated 27.07.2011, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes amendments in the Delhi Commission for Women (Honorarium and Allowances Payable and other Terms and Conditions of Services of the Chairperson and Members and other (Provisions) Rules,2000 as following, namely:------

1. (1) These rules may be called The Delhi Commission for Women (Honorarium, Allowances and other Conditions of Services of Chairperson and Members and other (Provisions) Amendment Rules, 2012.

   (2) They shall come into force from the date of FD's order dated 14.06.2011.

2. In the Delhi Commission for Women (Honorarium and Allowances Payable and other Terms and Conditions of Services of the Chairperson and Members and other (Provisions) Rules, 2000 for rule 3, the following shall be substituted, namely:-

3. "**Honorarium, Allowances and other conditions of service of the Chairperson and Members of the commission .**– (i.) The Chairperson shall be appointed on a full time basis (Non-official) and shall be paid a fixed honorarium ₹30,000/- per month (Rupees Thirty Thousand only) all inclusive. He/she shall be entitled to the facility of full time car and separate telephone at the office and residence. In case of honorary chairperson he/she will not be entitled for honorarium. However, he/she will be entitled to the facility of telephones at residence and office, car and other perquisites enjoyed by a Secretary to the Government.

(ii.) Other Members (Non-Official) shall be appointed on a part time basis and each of such members shall be paid a fixed honorarium of ₹15,000/- per month (Rupees Fifteen Thousand only) and transport allowance of ₹10,000/- per month (Rupees ten thousand only). They shall share the office telephone available in the Commission. They shall not be entitled for residential telephone.

(iii.) In case a member has to attend meeting or pay a visit with-in or out side Delhi and in case the pool vehicles are not available he/she shall be entitled to draw travelling allowances at the same rate as applicable to a Secretary to the Government.

c/o

25/c

(iv.) If the Commission invites any person to attend certain meeting or co-opts any outsider for any specific meeting, such persons shall be paid a sitting allowance of Rupees two hundred pe meeting".

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(Rajiv Kale)
Director
Department of Women & Child Development

F. No.60(59)/DWCD/ADWEC/Pt.III/- 6850-866 Dated The..............2011.
04 JUN 2012

Copy forwarded to:-

1. The Principal Secretary to Lt. Governor, L.G. House, Rajpur Road, Delhi Secretariat, Delh
2. Secretary to the Speaker of Vidhan Sabha, Vidhan Sabha Building, Delhi.
3. Secretary to Chief Minister, 2nd Level, Delhi Secretariat, Delhi.
4. The Chairperson, Delhi Commission for Women, 2nd Floor, C-Block, Vikas Bhawan, I. Estate, New Delhi.
5. All the members of Delhi Commission for Women, 2nd Floor, C-Block, Vikas Bhawan, I. Estate, New Delhi.
6. Secretary to Dy. Speaker of Vidhan Sabha, Vidhan Sabha Building, Delhi Secretariat, ND.
7. Secretary to Minister of Social Welfare, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Est New Delhi.
8. Secretary to Minister of Women & Child Development, GNCT of Delhi, Delhi Secretaria New Delhi.
9. Secretary to Minister of Health & Family Welfare, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, Estate, New Delhi.
10. Secretary to Minister of Finance, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Del
11. Secretary to Minister of Industries, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, Delhi
12. Secretary to Minister of Education, Training & Tech. Education, GNCT of Delhi, I Secretariat, I.P. Estate, Delhi.
13. Secretary to Minister of Food & Civil Supplies, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, Estate, New Delhi
14. Pr. Secretary to Law, Justice and Legal Affairs, GNCTD, Delhi Secretariat, I. P. Estate, Delhi.
15. OSD to Chief Secretary Delhi. GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
16. Dy. Secretary to Govt. of India, M/o Women & Child Development, Jeevan Deep Builc New Delhi
17. Dy. Secretary, G.A.D. Delhi Secretariat, Delhi (2 copies) for publication in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary.

(Rajiv Kale)
Director
Department of Women & Child Developn

KSC I copy

दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
1 केनिंग लेन; के॰जी॰ मार्ग; नई दिल्ली - 110001

सं.एफ – 60 (59) /म बा वि/सनिमसप्र/पार्ट – III/ 6850 – 866 दिनांकः

04 JUN 2012

अधिसूचना

एफ– 60 (59) /म बा वि/ सनिमसप्र /पार्ट – III .– दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 (1994 के दिल्ली अधिनियम संख्या 8) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना संख्या 60 (59)/ म बा वि/ सनिमसप्र /पार्ट – III/10929-944 दिनांक 27.07.2011.राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुच्छेद संख्या 3 का संशोधन करती हैं जिसके अनुसार दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाओं के नियम एवं शर्ते, उनके कर्तव्य, कार्य, मानदेय भत्ता एवं अन्य भत्तों की व्यवस्था निम्न प्रकार से होगी

1 (1) ये नियम दिल्ली महिला आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों और अन्य प्रावधानों की सेवा शर्तो, मानदेय भत्ता एवं भत्तों) संशोधन नियम 2012 कहलायेगें ।
(2) ये नियमावली वित्त विभाग के आदेश 14.06.2011 से प्रभावी होगें ।

2 दिल्ली महिला आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों और अन्य प्रावधनों की सेवा शर्तो, मानदेय भत्ता एवं भत्तों) नियम 2000के नियम 3 में निम्नलिखित उपस्थापन होगें ।

3. "आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय, भत्ते और अन्य सेवा शर्ते .– (i.) अध्यक्ष (गैर सरकारी) पूरे समय के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें रूपये 30,000/- प्रतिमाह मानदेय भत्ता दिया जाएगा। वह पूरे समय के लिए वाहन, कार्यालय और निवास पर दूरभाष की सुविधा का पात्र होगा। अवैतनिक अध्यक्ष की स्थिति में वह मानदेय भत्ते का पात्र नहीं होगा अपितु वह सरकार के सचिव को उपलब्ध कराई जाने वाली वाहन तथा अन्य अनुलब्धियों का पात्र होगा।

(ii.) अन्य सदस्य (गैर सरकारी) अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए जायेंगे और ऐसे प्रत्येक सदस्य को रूपये 15,000/- प्रतिमाह मानदेय भत्ता दिया जाएगा तथा रूपये 10,000/– प्रतिमाह यात्रा भत्ता देय होगा । वे आयोग के कार्यालय में उपलब्ध दूरभाष का उपयोग करेंगे। वे निवास पर दूरभाष के पात्र नहीं होंगे।

(iii.) यदि किसी सदस्य को सभा में जाना हैं या दिल्ली अथवा दिल्ली से बाहर यात्रा करनी हैं और पूल में वाहन उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में वह सरकार के सचिव को देय दर के अनुसार यात्रा भत्ता लेने का पात्र होगा।

(iv.) यदि आयोग किसी व्यक्ति को विशेष सभाओं में आने के लिए आमंत्रित करता हैं अथवा किसी बाह्य व्यक्ति को विनिर्दिष्ट सभाओं में सम्मिलित करता हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दो सौ रूपये प्रति सभा आसीन भत्ता दिया जाएगा"।

(राजीव काले)
निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

सं. एफ – 60 (59) /मबाविवि/ सनिमसप्र/पार्ट – III 6850 - 866

दिनांक

04 JUN 2012

प्रतिलिपियॉ

1) प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
2) सचिव, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
3) सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

4) अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली।
5) दिल्ली महिला आयोग के सभी सदस्य।
6) सचिव, उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
7) सचिव, मंत्री समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8) सचिव, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
9) सचिव, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
10) सचिव, मंत्री वित्त, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
11) सचिव, मंत्री उद्योग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
12) सचिव, मंत्री शिक्षा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
13) सचिव, मंत्री खाद्य एवं संभरण, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
14) प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं न्यायकार्य विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट., नई दिल्ली ।
15) विशेष अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
16) उप – सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, जीवन द्वीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।
17) उप – सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली को दो प्रतियां दिल्ली गजट (असाधारण) भाग – 4 में प्रकाशनार्थ।

(राजीव काले)
निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग